16/संख्या- 244/बयालिस- 2014-18(कालेज)/2007

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नयाक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रेदश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2014**

विषय- **जनपद- सहारनपुर में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 3431/बयालिस-2010-18(कालेज)/2007, दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं आपके पत्र संख्या- जी0- 1081/नि0 सहा0स्पो0का0 पत्रा0/2013-14, दिनांक 22 जनवरी, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2013-14 में जनपद- सहारनपुर की तहसील बेहट में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु प्रशासकीय लागत रू0 8663.92 लाख के दृष्टिगत् चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- उपरोक्त स्वीक़त धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2013-14 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रशासकीय विभाग के द्वारा प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

(3)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(4)- कार्यों को पूर्णगुणवत्ता/मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा, तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नहीं की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(5)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रायोजना का सक्ष्म स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- प्रायोजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा परियोजना की लागत को दृष्टिगत् रखते हुए विभाग के सक्ष्म स्तर द्वारा प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की आपस में प्राथमिकता निर्धारित की जाये, तथा निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित कार्यो की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि प्रायोजना पर होने वाले विनियोजन का लाभ क्रमिक रूप से मिलता रहे तथा प्रायोजना पर हुआ व्यय निरर्थक न रहने पाये।

(8)- शासनादेश दिनांक 12-01-2014 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2013-14 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-10-स्पोर्टस कालेज सहारनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0- 1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
सचिव।

संख्या- 244(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रेदश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
6- वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय - नियंतत्र) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, सहारपनुर मण्डल, सहारनपुर।
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in